

4

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
सर्किट कोर्ट रीवा, (म.प्र.)



AS 201-

R-2384-11114

गणेश सिंह तनय श्री गोविन्द सिंह, निवासी ग्राम बोदा, तह. हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

..... निगरानीकर्ता

बनाम

1. बाल्मीक प्रसाद तनय शिवप्रसाद चतुर्वेदी,
2. सत्यवती पाण्डेय पत्नी श्री बृजमोहन पाण्डेय,
दोनो निवासी ग्राम बोदा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)
3. शासन मध्यप्रदेश।

..... गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील हुजूर,
जिला रीवा, (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 114/अ-12/
2012-13 आदेश दिनांक 05.06.2013

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व
संहिता 1959 ईस्वी।

श्री गणेश सिंह तनय द्वारा प्रस्तुत किया गया ...
...एड के
30-6-14
सर्किट कोर्ट रीवा
को प्राप्त
35-7-14
वर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल न.प्र. ग्वालियर
मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नवत् हैं :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही विधि एवं प्रक्रिया तथा वाक्यातों एवं सहज न्यायिक सद्घांतों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है अर्थात् काबिले निरस्तगी हैं।


राजस्व मण्डल
30/6/14

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक B.2384-114 जिला सीवा

जगतेश सिंह विरुद्ध वाल्मीक प्रो. अक्षयदी

1	2	3
<p>15-1-19</p>	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>रविनन्दन सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह नामब तहसीलदार तहसील <u>हुजूर</u> के प्रकरण क्रमांक <u>114/2012/12-13</u> में पारित आदेश दिनांक <u>05-06-13</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>18-03-19</u> को कलेक्टर <u>सीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p align="right">  सदस्य </p>	

राजस्व
30/6/19